


II निगरानी/श्योपुर/मध्य/2018/07/18

न्यायालय माननीय राजस्वभ मण्डल मोप० श्योपुर।

प्रकरण क्रमांक

श्री २०१० का २०१८
दायरा अंक २२-१८
प्रख्युत। प्रारंभिक दर्द हेतु
दिनांक ८-२-१८ विषय।


राजस्वभ मण्डल, मोप० श्योपुर

/2018 निगरानी श्योपुर

नीत कौर पत्नी, गुरमेल तिंह
आयु ३५ ताल, व्यवसाय-कृषि
निवासी ग्राम गोठरा लूर्द, तहो कराहल,
जिला श्योपुर मोप०

--- आधिकारिक

बनाम

- १। - रामपती पट्टिन खुम्हीर जाति भीणा
निवासी गोठरा, तहसील कराहल
जिला श्योपुर मोप०
- २। - काढ़ी बेबा रामस्वल्प जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्योपुर मोप०
- ३। - शिवपुराद पुत्र पूमूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्योपुर मोप०
- ४। - सुगीम पुत्र पूमूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्योपुर मोप०
- ५। - बृदेश पुत्र पूमूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्योपुर मोप०
- ६। - क्रियेणीजी पुत्री फुन्दीलाल
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल
जिला श्योपुर मोप०
- क्रमांक ६ का कलाल



1/2/- निवासी ग्राम गोठरा, श्योपुर म०प०

रु ४०/- रमेश पुत्र लालमोनारायण
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल
जिला श्योपुर म०प०

२/७/- गाथब्री पुत्री हरिष्ठाद
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल
जिला श्योपुर म०प०

३/१०/- गिरधर गोवाल पुत्र हरिष्ठाद
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल
जिला श्योपुर म०प०

४/११/- पिस्ताबाई पत्नी सुरेशा
निवासी ग्राम जाखदा, तह० कराहल
जिला श्योपुर म०प०

५/१२/- सन्तोष पत्नि दिलावर
निवासी ग्राम तिलपुरी, तह० कराहल
जिला श्योपुर म०प०

६/१३/- लिख पुत्र घेटु निवासी ग्राम जाखदा,
तहसील कराहल, जिला श्योपुर म०प०

७/१४/- म०प०शासन

----- अनापेक्षण -----

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प०श्चरात् तँडिता 1952,

विलङ्घातेशा दिनांक 29-8-2017 को अपर क्लेक्टर जिला

श्योपुर म०प० द्वारा पुकरण क्रमांक 10/12- 13 निम्न
में पारित किया ।

छोमान् जी ,

निगरानी आवेदन निम्न पृकार प्रस्तुत है :-

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/0718

नीत कौर विरुद्ध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर० सी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हैं।</p> <p>(3)</p> <p>(आर० कौर जैन) 16.5.19 सदस्य</p>	